कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
तृतीय तल ब्लाक–4 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
परिपत्र

विषय– निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 का कियान्वयन।

निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 भारत सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2017 को प्रवृत्त किया गया है। अधिनियम में निशक्त व्यक्तियों के लिए अधिकार प्रावधानित किये गये है, तथा समय सारिणी में इनका कियान्वयन किया जाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अधिनियम के प्रावधानो के कियान्वयन का निरन्तर पर्यवेक्षण एवं समीक्षा किया जा रहा है। प्रावधानो के अनुरूप विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है–

- अधिनियम की धारा 44 के अनुसार कोई भी नवीन भवनों के निर्माण की अनुमति निशक्तजनों के लिए बाधारहित प्रावधानों को शामिल किये बिना नहीं दिया जावें।
- भवनों के निर्माण मे निशक्त जनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाधारहित प्रावधानो सहित पर्याप्तस्थान हो।
- कार्यस्थल योजना (Site planning) मे पाथवे, पक्की सड़के तथा उनका स्तर निशक्तजनों के लिए बाधारहित हों। निशक्त जनों के लिए आरक्षित पार्किंग, पर्याप्त प्रकाश, संकेतक, सूचना पटल का भी प्रावधान किया जावें।
- पहूँच स्थल एंव मुख्य द्वार ऐसे पंक्तिबद्ध हो कि निशक्त व्यक्तियों के लिए गंतव्य स्थल तक पहुँच आसान हो सके।
- भवन की आंतरिक बनावट जैसे मंजिल की सतह , रिक्त जगह, गलियारे एवं रास्ते, जाली, दरवाजे, खिड़कियां, रेलिंग, टॉयलेट, तथा सूचना पटल आदि के डिजाइन करते समय निशक्त जनो की अनुकूलता को दृष्टिगत रखा जावे।
- बाह्य बनावट जैसे पार्किंग, बसस्टाफ एवं सड़को आदि के निर्माण में निशक्त जनो की अनुकूलता का ध्यान रखा जावें।
- शासकीय कार्यालय के सभी स्वागत एंव सूचना काउटरों को निशक्त जनो के अनुकूल बनाया जावे।

उपरोक्त विषयो पर विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी दिशानिर्देश /मापदण्डो का विवरण निम्नानुसार है–

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी " Handbook on barrier free and accessibility" जनवरी 2014
2. शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी "Harmonised guidelines and space standards for barrier-free built environment for persons with disability and elderly persons 2016"
3. राष्ट्रीय भवन सहिता (National Building Code) मे अध्याय 13 नया जोड़ा गया ।
4. Model Building bye-laws, 2016 में अध्याय 8 नया शामिल किया गया है।

(267)

नये भवनो के ड्राईग डिजाइन अनुमोदन के समय अनुमोदन देने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा निशक्तजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के समावेश किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अंकित करेगें।

कृपया अवगत होवें कि अधिनियम की निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य (Mandatory) है एवं पालन न किए जाने की स्थिति में दण्ड का प्रावधान है। उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

23/5/18

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.कमांक 3503 **/त.शा.–2/F–159/प्रशि./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2018 नया रायपुर,** 23.05.18 **दिनांक**

प्रतिलिपि–

1. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर जी.ई.रोड जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर. की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावे ।
4. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल... की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए पालन प्रतिवेदन मुख्य अभियंता के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करावे । ।
5. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वि./यां मण्डल रायपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए एकजाई पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावे ।
6. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड/परियोजना खण्ड/(वि/यां.) खण्ड...की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का कड़ाई से पालन करे एवं पालन प्रतिवेदन मुख्य अभियंता के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करावे ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
नया रायपुर, छत्तीसगढ़